बिन्दु संख्या 4(1)(बी)(i): संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य :

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908, राजस्थान पंजीयन नियम 1955, खण्ड प्रथम व द्वितीय, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 व राजस्थान स्टाम्प नियम–2004 के क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है। यह विभाग राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

पंजीयन अधिनियम व उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत विभागीय पंजीयन अधिकारी दस्तावेजों के पंजीयन एवं पंजीयन सम्बंधी अन्य सेवाएं आम जनता को उपलब्ध कराते हैं। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर एवं अधिभार का संग्रहण किया जाता है। इस कर संग्रहण के लिये मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी, कलक्टर (मुद्रांक) एवं उप पंजीयकों की व्यवस्था है। वर्तमान में मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर तथा कलक्टर (मुद्रांक) के रूप में विभागीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यरत हैं। उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के नियंत्रणाधीन पूर्णकालिक उप पंजीयक एवं पदेन उप पंजीयक कार्यरत हैं।

विभाग का कार्य मुख्यालय स्तर पर विभिन्न शाखाओं के माध्यम से सम्पादित किया जाता है। कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु महानिरीक्षक के द्वारा मुख्यालय पर शाखावार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये हुए है, जिन्हें प्रशासनिक आवश्यकतानुसार बदला भी जा सकता है।

विभाग की प्रशासनिक संरचना